संख्या–2697/62–2–2012–2/3(65)/2012

प्रेषक,

संतोष कुमार द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2012

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का कय (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि अवमुक्त कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक् आपके पत्र संख्या–1042/ल0सिं0/बजट/ते0वि0आ0/2011–12, दिनांक 29–8–2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0–13 के अधीन रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का कय (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि ₹-50,00,000/– (रूपया पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि ₹-25,00,000/– (रूपया पच्चीस लाख मात्र) महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में जिला सेक्टर की योजनाओं के अधीन बोरिंग गोदामों के निर्माण योजना हेतु अनुदान पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की

गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र सम्बन्धित खण्डीय अधिशासी अभियंता को आवंटित करते हुए शासन को भी अवगत कराने का प्रबन्ध करें।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेशसंख्या–बी–1–1195/दस–16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय के निम्नलिखित व्ययों को निर्धारित रूप पत्रों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों तक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1– मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण	15–10–2012 तक
3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अंतिम विवरण	15–12–2012 तक
4– वर्ष 2012–13 के आवंटन का अंतिम लेखा विवरण (पुनर्विनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15–02–2013 तक
5– आवंटन का समर्पण	15–03–2013 तक

नोट :– दिनांक 15–03–2013 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(9) तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–13 के अधीन "लेखा शीर्षक–4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–102–भूजल–03–रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का कय–26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र" के नामे डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के परामर्शानुसार जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(संतोष कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।

Bud scp-12-90

संख्या–2697(1)/62–2–2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5– सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
6– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7– सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ।
8– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
9– नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
10–वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
11–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
12–निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13–एन0आई0सी0 की प्रति।
14–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
उप सचिव।

Bud scp-12-91